2

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज माधोसिंह बनाम लो.सू.अ.(अपर जिला कलक्टर प्रथम जोधपुर) सू.अ.अ. अपील संख्या 16/2021	नं0 व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
01.03.21	अपीलार्थी माधोसिंह, पता 488 न्यू कॉलानी बी.जे.एस. जोधपुर शहर गली नं. 22 जिला जोधपुर ने सूचना का अधिकार के तहत प्रार्थना–पत्र दिनांक 28.12.2020 में उसके द्वारा (1) ख.नं. 58 ग्राम भदवायि की भूमि में से 12 बीघा भूमि की खातेदारी श्री मंगलसिंह पुत्र बखतावरसिंह परिहार निवासी महामंदिर जोधपुर के नाम दर्ज करने के लिए तहसीलदार जोधपुर की ओर से हलका पटवारी पून्दला को प्रेषित किये गये पत्रांक भू.अ./86/2831 दिनांक 07.10.1986 की प्रमाणित प्रति व अन्य बिन्दुओं से संबंधित सूचना के लिए लोक सूचना अधिकारी (अपर कलक्टर प्रथम जोधपुर) को प्रेषित किया गया तथा उक्त लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना नहीं दी गई, जिससे व्यथित होकर यह अपील पेश हुई। अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पो.पक्ष (अपर कलक्टर प्रथम जोधपुर व तहसीलदार जोधपुर) से तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी गई। हमने पत्रावली का अवलोकन किया। रेस्पो.पक्ष (अपर कलक्टर प्रथम जोधपुर) से जरिये पत्रांक 309 दिनांक 19.02.2021 तथ्यात्मक रिपोर्ट प्राप्त हुई जिसमें बतलाया कि प्रार्थी के प्रार्थना पत्र में वर्णित सूचना इस कार्यालय से संबंधित न होकर तहसील कार्यालय जोधपुर से संबंधित होने के कारण धारा 6(3) के तहत तहसीलदार जोधपुर का कार्यालय के पत्रांक 1168 दिनांक 30.12.2020 स्थानान्तरित किया गया। तहसीलदार जोधपुर से आदिनांक तक तथ्यात्मक रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई अतः अपील स्वीकार की जाती है तथा लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार जोधपुर) को निर्देशित किया जाता है कि संबंधित सूचना अपीलार्थी को 15 दिवस में उपलब्ध करावे, अन्यथा सूचना नहीं दिये जाने के कारणों से प्रार्थी को अवगत कराया जाय। आदेश की प्रति संबंधित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित हो। आदेश सुनाया गया।	